P.W.O पत्रावली पहले आक्षेप पोषणीयता एवं अंतरिम प्रार्थना

हाजा दिनांक 24.10.19 के पेश हुई। बहस उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली स्थगन की बहस पर मनन किया गया। तहत अदालत के आदेशिका आक्षेप दिनांक 28.10.19 एवं न्यायालय हाजा आदेशिका आक्षेप 24.10.19 का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ~~अपीलार्थी~~ प्रार्थी/रिवी० द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहत 212 RTA प्रथम अदालत में इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजियात ख.न. $\frac{1969}{0.15}$, $\frac{1970}{0.44}$, $\frac{1971}{0.01}$, $\frac{1972}{0.27}$ एवं $\frac{1973}{0.01}$ वाके ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी में स्थित है। जिसके रजिस्टर एवं रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश किए जावें।

अदालत द्वारा 26.6.19 को प्रस्तुत
प्रार्थी की एक पक्षीय कथन को स्वीकार करते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी दिनांक 30.7.19 का आदेश दिए हैं। इसकी अपील अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा किए जाने पर न्यायालय हाजा के आक्षेपित आदेश 24.10.19 द्वारा आगामी पेशी तक प्रचलन से रोके जाने का आदेश जारी किए गए।

विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि अपील न्यायालय 'अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा' का श्रवणाधिकार है जो सही रूप से सुनकर उचित आदेश पारित किए गए हैं।
जबकि अधिवक्ता विद्वान रेस्पोंडेण्ट का तर्क है कि यह श्रवणाधिकार क्षेत्र में नहीं है, आदेश को निरस्त किया जावे।
अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कानूनी नजीरें AIR 2000 SC 3032, RRT 2016-17 (Rev), RRT 2017 (1) P 466 पेश किए।
अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट द्वारा RRT 2014 (1) 409, RRT 2019 (1) 273, RRT 2016 (1) 424 पेश किए।

हमारे द्वारा उक्त कानूनी दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह तथ्य सही है कि राजस्व अपील प्राधिकारी को तहत अदालत द्वारा पारित एक्स पार्टी/अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी अन्तर्गत धारा 212 RTA का श्रवणाधिकार धारा 225 RTA के अन्तर्गत है। परन्तु यह अधिकार नहीं है कि ऐसी कोई अपील जिसमें केवल 'आगामी पेशी तक ही अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई हो।

प्रस्तुत प्रकरण में भी तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत धारा 212 RTA के अन्तर्गत 'आगामी पेशी दिनांक 30.7.19 तक" की ही अन्तरिम

जारी हुए

निषेधाज्ञा जारी की है न कि आगामी आदेशों तक। इस प्रकार न्यायालय अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत की दलीलें व दृष्टांत से पूर्णरूप से सहमत है व दृष्टांत इस प्रकरण में पूर्ण रूप से हूबहू चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय हाजा के आक्षेपित आदेश दिनांक 24.10.19 को 'क्षेत्राधिकार से बाहर' होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो बाद तकमील रोस्टर नम्बर ले कम हो। [signature]